प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'एक'

प्रश्न संख्या क्र. 3226

[26/7/2016]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3226

प्रपत्र –अ

स्वीकृत योजनाओं में शासकीय भूमियों का जलाशय/नहर में उपयोग किया गया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है की जानकारी

स. क्रं.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण			शासकीय भूमि का जलाशय/नहर में उपयोग/प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में			शासकीय भूमि के आवंटन हेतु विभाग द्वारा राजस्व विभाग को लिखे पत्र का दिनांक	प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई	टिप्पणी
		स्वीकृति दिनांक	योजना की लागत (लाख में)	रूपांकित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में	जलाशय निर्माण में उपयोग/प्रस्तावित	नहर निर्माण में उपयोग/प्रस्तावित	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	मध्यम योजना									
1	पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई योजना योजना	14.01.2016	38229.00	13340.00	260.76	0.00	260.760	—	— प	प्रस्ताव तैयार किये जाना है
	लघु योजनाएं								0	
1	छिंदवाड़ जलाशय	29.06.2016	574.56	295.00	3.41	0.07	3.482	—	—	प्रस्ताव तैयार किये जाना है
2	बाबरबोह जलाशय	22.05.2012	391.82	210.00	4.31	0.05	4.363	—	—	प्रस्ताव तैयार किये जाना है
3	देहगुड़ जलाशय	25.04.2012	3991.17	1975.00	47.63	0.98	48.007	—	—	प्रस्ताव तैयार किये जाना है
4	बादलडोह जलाशय	11.07.2012	3690.35	2260.00	28.13	1.59	29.712	—	—	प्रस्ताव तैयार किये जाना है
5	मल्हारा जलाशय	20.08.2013	228.15	130.00	1.02		1.020	—	—	प्रस्ताव तैयार किये जाना है

6	मोखा जलाशय	25.04.2012	1204.78	612.00	11.66	1.83	13.487	24.07.12	नाबार्ड दि. 27.03.15 को हो चुका है तथा भूमि का अधिग्रहण की 90 प्रतिशत हो चुका है योजना निर्माणाधीन है।	
7	अपर जावरा लघु जलाशय	29.06.2012	566.28	310.00	3.77	0.08	3.845	26.07.12	भू-अर्जन पूर्ण	—
					0.85		0.851			
8	जूनावानी लघु जलाशय	20.06.2013	294.95	135.00	0.96	0.00	0.955	03.02.13	भू-अर्जन पूर्ण	—
9	डोडाजाम लघु जलाशय	27.08.2013	314.46	180.00	1.26	0.00	1.260	12.11.13	भू-अर्जन पूर्ण	—
10	पालंगा बैराज	20.08.2013	156.71	150.00	0.35	0.00	0.350	ताप्ती नदी पर निर्मित है	शून्य	—
11	नहरपुर बैराज	20.08.2013	128.92	113.00	0.30	0.00	0.300		शून्य	—
12	डोडरा बैराज	20.08.2013	119.37	92.00	0.25	0.00	0.250		शून्य	—
13	कोलगांव लघु जलाशय	27.08.2013	474.11	215.00	0.83	0.09	0.911	03.12.13	भू-अर्जन पूर्ण	—
14	देशावाड़ी लघु जलाशय	25.04.2012	481.00	225.00					निरस्तीकरण प्रस्तावित	[illegible]
15	खेरा लघु जलाशय	27.08.2013	446.66	199.00	—	—	—			
		योग	51292.29	20441.00	365.48	4.68	369.553			

18/7/2016

(बी.एस.धुर्वे)
मुख्य
अभियंता
जल संसाधन
विभाग,

प्रपत्र-क

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 3225
दि० 18/7/2016
26/7/2016

३४. मूल अधिनियम की धारा २३७ में,— धारा २३७ का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलक्टर, उपधारा (१) के खण्ड (ख) में वर्णित भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात्, उपधारा (१) में वर्णित ऐसी दखल रहित भूमि को आबादी सड़कों, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं के निर्माण या अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए, जैसी की राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए, व्यपवर्तित कर सकेगा:

परन्तु उपधारा (१) में वर्णित प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित या आवंटित नहीं की जाएगी.";

(तीन) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) जब उपधारा (१) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए पृथक् से रखी गई भूमि का, ऐसी विकास और अधोसंरचना परियोजनाओं जो राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं या अनुमोदित हैं, किन्तु उपधारा (३) के अधीन नहीं आती है, व्यपवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, तो कलक्टर, उपलब्ध विकल्पों पर अपना समाधान कर लेने के पश्चात् और संबंध परियोजनाओं से उन्हीं निस्तार अधिकारों की पूर्ति करने के लिए समतुल्य क्षेत्र की भूमि अभिप्राप्त कर लेने पर भी इस आशय को तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए, ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तित कर सकेगा.".